न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)
पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 169 / 2025
जीसीएमएस न0 2025 / 670

1. रीना मेघवाल पुत्र मोडीराम जाति मेघवाल निवासी गादोला तहसील निम्बाहेडा।

– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

– विपक्षी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :1– प्रार्थीया स्वयं उपस्थित
2– पेराकार सरकार उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक 29.08.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की आराजियात वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला के आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 1032 रकबा 0.4400 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 503 रकबा 0.500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.300 हैक्टेयर भूमि , आराजी नम्बर 1125 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1614 / 1133 रकबा 0.3200 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 608 रकबा 0.1100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 609 रकबा 0.2100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 610 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया का नाम विरासत से आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 1032 रकबा 0.4400 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 503 रकबा 0.500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.300 हैक्टेयर भूमि , आराजी नम्बर 1125 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1614 / 1133 रकबा 0.3200 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 608 रकबा 0.1100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 609 रकबा 0.2100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 610 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि मे टीना दर्ज है जबकि नामान्तरकरण संख्या 1854 (विरासत) में व अन्य संलग्न दस्तावेज में रीना दर्ज था जो की सहवन से रीना के बजाए टीना दर्ज हो गया। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि में गोपाल पुत्र मोडीराम जाति बलाई एवं टीना पुत्री मोडीराम जाति बलाई दर्ज हो गया है जिसे जाति बलाई के बजाए मेघवाल किया जाना प्रस्तावति किया गया।

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का नाम विरासत से आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 1032 रकबा 0.4400 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 503 रकबा 0.500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.300 हैक्टेयर भूमि,आराजी नम्बर 1125 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1614 / 1133 रकबा 0.3200 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 608 रकबा 0.1100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 609 रकबा 0.2100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 610 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि मे टीना दर्ज है जबकि नामान्तरकरण संख्या 1854 (विरासत) में व अन्य संलग्न दस्तावेज में राना दर्ज था जो की सहवन से

रीना के बजाए टीना दर्ज हो गया। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि में गोपाल पुत्र मोडीराम जाति बलाई एवं टीना पुत्री मोडीराम जाति बलाई दर्ज हो गया है जिसे जाति बलाई के बजाए मेघवाल किया जाना उचित है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. दोनों पक्षों के अभिवचनों के. आधार पर बहस उभपयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीया का नाम विरासत से वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला के आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 1032 रकबा 0.4400 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 503 रकबा 0.500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.300 हैक्टेयर भूमि , आराजी नम्बर 1125 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1614 / 1133 रकबा 0.3200 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 608 रकबा 0.1100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 609 रकबा 0.2100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 610 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि मे टीना दर्ज है जबकि नामान्तरकरण संख्या 1854 (विरासत) में व अन्य संलग्न दस्तावेज में राना दर्ज था जो की सहवन से रीना के बजाए टीना दर्ज हो गया। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि में गोपाल पुत्र मोडीराम जाति बलाई एवं टीना पुत्री मोडीराम जाति बलाई दर्ज हो गया है जिसे जाति बलाई के वजाए मेघवाल कि वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

आदेश

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला के आराजी नम्बर 1032 रकबा 0.4400 हैक्टेयर,आराजी नम्बर

503 रकबा 0.500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.300 हैक्टेयर भूमि ,आराजी नम्बर 1125 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1614 / 1133 रकबा 0.3200 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 608 रकबा 0.1100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 609 रकबा 0.2100 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 610 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि मे टीना पुत्री मोडीराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बजाए रीना पुत्री मोडीराम जाति मेघवाल किये जाने एवं इसी प्रकार आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि में आराजी नम्बर 1135 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि में गोपाल पुत्र मोडीराम जाति बलाई सा. देह खातेदार के बजाए गोपाल पुत्र मोडीराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार एवं टीना पुत्री मोडीराम जाति बलाई के बजाए रीना पुत्री मोडीराम जाति मेघवाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा